122

संख्या–620 (III) /XII–2/2014/83(03)/2013

प्रेषक,

जी0बी0 ओली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज एवम् ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 11 अगस्त, 2014

विषयः– **प्रखण्ड कार्यालय हरिद्वार के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रखण्ड कार्यालय हरिद्वार के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी परीक्षणोपरान्त स्वीकृत रू0 109.68 लाख में गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासनादेश सं0–667/XII/2013/83(3)/2013 दि0 08 अगस्त, 2013 द्वारा रू0 55.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2014–15 की आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 में दिये गये निर्देशों के आलोक में एवं उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–786/ग्रा0अ0से0/लेखा–दो–01–बजट/14/2014–15 दि0–31 जुलाई, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर योजना अनावासीय भवनों का निर्माण योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये प्राविधानित आय–व्ययक रू0 50,00,000/– **(रू0 पचास लाख मात्र)** में से आपके द्वारा प्रखण्ड कार्यालय हरिद्वार के निर्माण कार्य हेतु वांछित धनराशि के सापेक्ष रू0 8,00,000/– **(रू0 आठ लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
8. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
9. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1408190040 है। आप भी अपने स्तर से अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1638/XXX–1–12(25)2011, दि0–08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

क्रमशः.....2

उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 00–800–अन्य व्यय–03–ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत अनावासीय भवनों का निर्माण मानक मद–24 बृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(जी0बी0 ओली)
अपर सचिव

संख्या–620 (3)/XII–2/2014/83(03)/2013, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, परिमण्डल देहरूदन।
8. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
10. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, RES (S039)

आवंटन पत्र संख्या - 620(III)/XII/14/83(3)2013

अनुदान संख्या - 019

अलोटमेंट आई डी - S1408190040

आवंटन पत्र दिनांक -08-Aug-2014

HOD Name - Chief Engineer RES (2231)

1: लेखा शीर्षक 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

00 - ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के परिमण्डल/ प्रखण्ड के अना

00 -

03 - ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अनावासीय भवनों का न

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	4200000	800000	5000000
	4200000	800000	5000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 800000

(डी०के० जोशी)
अपर सचिव,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
उत्तराखण्ड शासन।